

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक—

सं०—05/स्था०—01—08/2021 /आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से प्राप्त पत्रांक—570, दिनांक—06.08.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार, बि०प्र०से०, बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा को प्रभार ग्रहण की तिथि से संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(कृत्यानन्द रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ई—मेल

ज्ञा०—05/स्था०—01—08/2021

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:—अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर/ श्री मनोज कुमार, बि०प्र०से०, बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा/जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर/मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/परिवहन विभाग मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

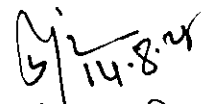
सरकार के संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञा०—05/स्था०—01—08/2021 6765 पटना, दिनांक.....14/8/2025

प्रतिलिपि:—संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा/आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री मनोज कुमार पाणिग्रही, वरीय तकनीकी निदेशक, वैज्ञानिक—F, एन० आई० सी० (NIC) बिहार, पटना से अनुरोध है कि निर्गत अधिसूचना में उक्त प्रभार लेने वाले प्रमंडल में पदस्थापित उपरोक्त संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को कार्य हेतु User ID एवं Password निर्गत करने की कृपा की जाय।



सरकार के संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक—

सं०-05/स्था०-01-08/2021 /आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से प्राप्त पत्रांक-570, दिनांक-06.08.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार, बि०प्र०से०, बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा को प्रभार ग्रहण की तिथि से संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

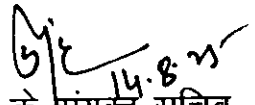
(कृत्यानन्द रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ई-मेल

ज्ञा०-05/स्था०-01-08/2021 6765 पटना, दिनांक.....14/8/2025

प्रतिलिपि:—अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर/श्री मनोज कुमार, बि०प्र०से०, बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा/जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर/मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/परिवहन विभाग मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।